



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3147]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940

No. 3147]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(जांच प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सं. 37/2018

का.आ. 3942(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मुन्सिफ न्यायालय सं. 3- और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम) गुवाहाटी को, एतद्द्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष न्यायालय के रूप में पद नामित करती है।

[फा. सं. 285/09/2018-आईटी(जांच-V) सीबीडीटी]

डॉ. जाकीर थॉमस, सीआईटी(ओएसडी)(जांच), सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(Investigation Division-V)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

No. 37/2018

S.O. 3942(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the Gauhati High Court hereby designate the Court of Munsiff No. 3 -cum-Judicial Magistrate, 1st Class, Kamrup (M), Guwahati as the Special Court for the North Eastern Region for the purposes of the said sub-section.

[F. No. 285/09/2018-IT (Inv.V) CBDDT]

Dr. ZAKIR THOMAS, CIT (OSD)(INV), CBDDT